।। कार्यालय कमाण्डेण्ट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर ।।

क्रमांक : पीटीएस–अल. / प्रशि. / R.T. बैच सं.–07 / 2023 / 710-16 20, अप्रेल, 2023

–:: कार्यालय आदेश ::–

श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय आदेशांक 3881 दिनांक 18.04.2023 के द्वारा राजस्थान पुलिस में खेल कोटा सीधी भर्ती से (आरएसी / एमबीसी / एपी) नियुक्त रिक्रूट कानिस्टेबल (आर्म्ड बटालियन्स–48, आयु. जयपुर–10, आयु. जोधपुर–06, जिला झालावाड–01, जिला जयपुर ग्रामीण–01, जिला बांरा–01 व नवी बटा. आरएसी–01) कुल आवंटित सीटें 68 के लिए दिनांक 24.04.2023 से स्थाई आदेश संख्या 03 / 20221 द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के निर्देश प्रदान किये गये है।

अतः राजस्थान पुलिस में खेल कोटा सीधी भर्ती से (आरएसी / एमबीसी / एपी) नियुक्त रिक्रूट कानिस्टेबल के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बैच संख्या 07 / 2023 में रिक्रूट कानिस्टेबल दिनांक 23.04.2023 को संस्थान में उपस्थित हो रहे है। इनके इण्डोर / आउटडोर प्रशिक्षण को दिनांक 24.04.2023 से सुचारू रूप से संचालित किय जाने हेतु श्रीमती मन्जू मीणा, पुलिस निरीक्षक को कोर्स डायरेक्टर, श्री अरूण सिंह, उप निरीक्षक को सहायक कोर्स डायरेक्टर नियुक्त कर, इन्हे एवं संचित निरीक्षक (प्रशासन), प्रभारी आउटडोर को निर्देश प्रदान किये जाते है कि स्थाई आदेश संख्या 03 / 2021 द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार स्वंय एवं योग्य अतिथि व्याख्यताओं की समयानुसार व्यवस्था कर तथा कोविड–19 हेतु जारी दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए उत्तम श्रेणी का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रभारी मैस, परिवहन शाखा, स्टोर व अन्य संबंधित प्रभारी प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले रिक्रूट कानिस्टेबल की मैस, वाहन, विश्राम, आवास आदि की पूर्ण व्यवस्था समय पर किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य विधि अनुदेशक / प्रभारी आउटडोर को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार प्रशिक्षण से संबंधित अन्य सामग्री की आवश्यकता हो तो समय पूर्व इस कार्यालय को अवगत करावें।

(यशपाल त्रिपाठी)
कमाण्डेण्ट
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर।

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. उप अधीक्षक पुलिस / मुख्य विधि अनुदेशक, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर।
2. श्रीमती मन्जू मीणा, पु.नि. (कोर्स डायरेक्टर) को भेजकर लेख है कि उक्त प्रशिक्षण में लगभग 17 महिला रिक्रूट कानिस्टेबल आना प्रस्तावित है। अतः आपको महिला रिक्रूट कानिस्टेबल का समन्वयक अधिकारी नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि आप महिला रिक्रूट कानिस्टेबल के लिए आवासीय व अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना सुनिश्चित करे साथ ही इनके प्रशिक्षण हेतु महिला प्रशिक्षक नियुक्त कर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय में भिजवाये।
3. संचित निरीक्षक (प्रशासन), पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर।
4. प्रभारी आउटडोर / हवलदार मेजर, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर।
5. प्रभारी रोजनामचा आम, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर को प्रशिक्षण हेतु आमद रिपोर्ट की छायाप्रति भेजकर लेख है कि प्रारम्भिक प्रशिक्षण में उपस्थित होने वाले समस्त रिक्रूट कानिस्टेबल से पूर्ति करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी स्टोर / परिवहन अधिकारी / मेस / शस्त्रागार / तरल केन्टिन, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर।
7. नोटिस बोर्ड।

कमाण्डेण्ट
पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, अलवर।